

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 270]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 मई 2022—ज्येष्ठ 4, शक 1944

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मई 2022

क्र. एफ 3-11-2020-छब्बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग में विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सहायक संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी विभागीय प्रशिक्षण तथा परीक्षा नियम, 2021 है.

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

(3) ये नियम, विभाग में कार्यरत सहायक संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों को लागू होगा.

2. परिभाषाएं.—

(क) “अकादमी” से अभिप्रेत है, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी;

(ख) “उपाबंध” से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न उपाबंध;

(ग) “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है, उपाबंध-क के रूप में यथा विहित पाठ्यक्रम;

(घ) “विभाग” से अभिप्रेत है, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग;

(ङ) “विभागीय परीक्षा” से अभिप्रेत है, इन नियमों में यथा उपबंधित परीक्षा.

3. विभागीय परीक्षा की तारीख और स्थान .- आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी सहायक संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के लिए छह माह की कालावधि के भीतर दो माह का प्रशिक्षण संचालित करेगी।

(2) अकादमी द्वारा वर्ष में कम से कम दो बार विभागीय परीक्षा संचालित की जाएगी।

4. विभागीय परीक्षा के विषय .-

विभागीय परीक्षा के लिए निम्नलिखित विषय होंगे-

- (1) प्रशासनिक एवं वित्तीय विधि तथा प्रक्रिया।
- (2) उन अधिनियमों/नियमों का ज्ञान जिनसे विभाग शासित होता है।
- (3) विभागीय योजनाओं का ज्ञान।
- (4) कार्यालयीन प्रक्रिया एवं व्यवहारिक अध्ययन

5. विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम .-

विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम, उपाबंध-क के रूप में संलग्न है।

6. विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक.- विभागीय परीक्षा में बैठने वाले किसी अभ्यर्थी को नीचे दिए गए अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा :-

अनुक्रमांक	विषय एवं प्रश्न पत्र	कालावधि	अधिकतम अंक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रशासनिक एवं वित्तीय विधि तथा प्रक्रिया	02 घंटे	100	60

2.	अधिनियमों / नियमों का ज्ञान, जिनसे विभाग शासित होता है	02 घंटे	100	60
3.	विभागीय योजनाओं का ज्ञान	02 घंटे	100	60
4.	कार्यालयीन प्रक्रिया एवं व्यवहारिक अध्ययन	02 घंटे	100	60

टिप्पणी :

अकादमी, उन अभ्यर्थियों के लिए जो दृष्टिबाधित हैं एक सहायक/लेखक/पाठक, निःशुल्क उपलब्ध कराएगी और वह अभ्यर्थी के समकक्ष या शैक्षणिक रूप से अधिक योग्य नहीं होगा और विभागीय सेवा का सरकारी सेवक नहीं होगा। उन्हें हर एक घंटे में 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

7. वेतनवृद्धियों का विनियमन.-

विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात्, जिन अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, विभाग द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाएगी।

8. अभिकरण एवं परीक्षा का संचालन.-

- (क) परीक्षा, अकादमी द्वारा आयोजित की जाएगी।
- (ख) परीक्षा, अकादमी के नियंत्रणाधीन संचालित की जाएगी।
- (ग) सभी प्रश्न पत्र केवल हिन्दी भाषा में तैयार किए जाएंगे।
- (घ) 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के एवं शेष 50% विवरणात्मक प्रकार के होंगे।
- (ङ) प्रश्न पत्र तैयार करने, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने, परिणाम की घोषणा करने एवं संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व अकादमी का होगा।

उपाबंध -क
विभागीय प्रशिक्षण तथा परीक्षा का पाठ्यक्रम
(प्रश्न पत्र- एक)
(प्रशासनिक एवं वित्तीय विधि तथा प्रक्रिया)

1. प्रशासनिक.-

- सामान्य पुस्तक परिपत्र।
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम, 2010
- मध्यप्रदेश मूलभूत नियम

2. वित्तीय.-

- वेतन निर्धारण
- मध्यप्रदेश अवकाश नियम, 1977
- यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता
- चिकित्सा प्रतिपूर्ति
- वित्तीय शक्तियां
- विभागीय निर्देशानुसार संधारित वित्तीय पुस्तकें/पंजियां

(प्रश्न पत्र- दो)

(उन अधिनियमों/नियमों का ज्ञान जिनसे विभाग शासित होता है)

- (1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- (2) मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017
- (3) मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970, समय समय पर यथा संशोधित।
- (4) मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 1970।
- (5) माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007।
- (6) मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियम, 2009।
- (7) अशासकीय संस्थाओं को विभागीय मान्यता एवं अनुदान नियम, 2017।
- (8) मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1973।
- (9) मध्यप्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण नियम, 1977।
- (10) लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम, 2010।
- (11) मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपापन नियम, 2015।
- (12) ट्रांसजेण्डर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019।
- (13) अपराधी परिविक्षा अधिनियम, 1958 एवं उसके अधीन नियम।

(प्रश्न पत्र- तीन)
(विभागीय योजनाओं का ज्ञान)

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना।
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना।
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
- बहु-विकलांग/मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना।
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
- मुख्यमंत्री निकाह योजना।
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना।
- मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना।
- मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना।
- दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना।
- श्रवण एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता योजना।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के लिए देय फीस,निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना।
- दिव्यांग विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना।

- दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य क्रिया उपचार सहायता।
- कलापथक, वृद्धाश्रमों का संचालन/डे-केयर सेंटर/शतायु सम्मान।
- मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता योजना।
- मद्यपान तथा नशीली दवा का दुरुपयोग निवारण अनुदान योजना।
- जन-जागरूकता कार्यक्रम भिक्षुक केन्द्र का संचालन।
- जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डी.डी.आर.सी.)।
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित योजनाएं।
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.)।
- दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडिप योजना)।
- सिपडा योजना।
- जागरूकता सृजन और उपचार योजना (ए.जी.पी.)।
- वृद्धजनों हेतु सहायक उपकरणों का वितरण।
- समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम केन्द्रीय अनुदान योजना।
- नशामुक्ति कार्यक्रम।
- मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम।
- विभागीय पुरस्कार- इंदिरा गांधी समाज सेवा पुरस्कार।
- महर्षि दधीचि पुरस्कार योजना।
- विवेकानंद नशामुक्ति पुरस्कार योजना।
- केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाएं।

(प्रश्न पत्र- चार)
(अधिकारिक प्रक्रिया एवं व्यवहारिक अध्ययन)

विभाग में सामान्य रूप से उपयोग होने वाले विभिन्न शब्दों (उदाहरण- आवक, जावक, निराश्रित निधि इत्यादि) का ज्ञान, विभागीय पत्राचार, टीप लेखन, नस्ती का संधारण एवं उसमें उपयोग होने वाली शब्दावली। विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय संगठनों/संस्था के अधीन कार्यरत व्यवहारिक ज्ञान तथा संचालित योजनाओं।

No. F.No. 3-11/2020/26-1

Date 25 .05.2022

In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules for the Departmental Examinations in Social Justice and Disabled Persons Welfare Department, namely:-

RULES

- 1. Short title, commencement and application.-**
 - (1) These rules shall be called the Assistant Director, Integrated Social Security Extension Officer and Assistant Statistical Officer, Departmental Training and Examination Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
 - (3) These rules shall apply to the post of Assistant Director, Integrated Social Security Extension Officer and Assistant Statistical Officer working in the department.
- 2. Definitions.-**
 - (a) "Academy" means the R.C.V.P. Noronha Administration Academy;
 - (b) "Annexure" means the Annexure annexed with the rules;
 - (c) "Course" means the course as prescribed in Annexure-A;
 - (d) "Department" means the Social Justice And Disabled Welfare Department;

(e) "Departmental Examination" means the examination as provided in these rules.

3. Date and place of departmental examination.-

- (1) R.C.V.P. Noronha Administration Academy shall conduct two month's training for Assistant Director, Integrated Social Security Extension Officer and Assistant Statistical Officer within a period of six months.
- (2) The departmental examination shall be conducted by the Academy atleast twice in a year.

4. Subjects of Departmental Examination.-

The following shall be the subjects for departmental examination for-

- (1) Administrative and Financial Law and Procedure.
- (2) knowledge of Acts/Rules by which the Department is governed.
- (3) knowledge of departmental schemes.
- (4) Official process and practical studies.

5. Course of Departmental Examination.-

The course of departmental examination is annexed as Annexure-A.

- 6. Minimum marks for passing the departmental examination.-** Any candidate who appears in the departmental examination shall be required to obtain minimum marks as given below:-

S. No.	Subject and Question Paper	Period	Maximum number of marks	Minimum numbers of Passing Marks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Administrative and Financial Law and Procedure	02 hours	100	60
2.	Knowledge of the Acts/Rules by which the Department is governed.	02 hours	100	60
3.	Knowledge of Departmental Schemes	02 hours	100	60
4.	Official Procedure and Practical Studies	02 hours	100	60

Note : The academy shall provide an Assistant/Scribe/Reader, Writer free of cost for the candidates who have vision impairment and he shall not be equivalent or more educationally qualified than the candidate and shall not be a Government Servant of the Departmental Service. They shall be given extra 20 minutes in every one hour.

7. Regulation of increment.-

After passing the departmental examination, the candidate who qualify the examination shall be given one increment by the department.

8. Agency and Operation of examination.-

- (a) The examination shall be conducted by the Academy.
- (b) The examination shall be operated under the control of Academy.
- (c) All the question papers shall be prepared in Hindi only.
- (d) 50 % of the questions, shall be objective type and remaining 50 % of questions shall be descriptive type.
- (e) The responsibilities of preparations of Question Paper, evaluation of the Answer Sheets, declaration of results and maintenance of confidentiality in the entire process shall be of the Academy.

ANNEXURE - A**COURSE OF DEPARTMENTAL TRAINING AND EXAMINATION****(Question Paper - One)****(Administrative and Financial Law and Procedure)****1. ADMINISTRATIVE.-**

- General Book Circular.
- Madhya Pradesh Civil Services Conduct Rules, 1965.
- Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.
- Right To Information Act, 2005.
- Madhya Pradesh Lok Seva Praday Guarantee Adhiniyam, 2010.
- Madhya Pradesh Fundamental Rules.

2. Financial.-

- Pay Fixation.
- Madhya Pradesh New Leave Rules, 1977.
- Travel Allowance/Dearness Allowance.
- Medical Reimbursement.
- Financial powers.
- Financial Books/Registers maintained as per the departmental Directions.

(Question Paper - Two)**(Knowledge of those Acts/Rules by which the Department is governed)**

- (1) Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.
- (2) Madhya Pradesh Rights of Person with Disabilities Rules, 2017.
- (3) Madhya Pradesh Nirashriton Evam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Adhinyam, 1970, as amended from time to time.
- (4) Madhya Pradesh Nirashriton Evam Nirdhan Vyaktiyon Ki Sahayata Niyam, 1970.
- (5) Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.
- (6) Madhya Pradesh Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009.
- (7) Departmental Recognition and Grant to Non-government Institutions, Rule 2017.
- (8) Madhya Pradesh Bhiksha vritti Nivaran Adhinyam, 1973.
- (9) Madhya Pradesh Bhiksha vritti Nivaran Niyam, 1977.
- (10) Lok Seva Praday Guarantee Adhinyam, 2010.
- (11) Madhya Pradesh Store Purchase Rules and Service Procurement Rules, 2015.
- (12) The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019.
- (13) Criminal Probation Act, 1958 and Rules made there under.

(Question Paper - Three)
(Knowledge of Departmental Policies)

- Indira Gandhi National Old age Pension Scheme.
- Indira Gandhi National Widow Pension Scheme.
- Indira Gandhi National Disable Pension Scheme.
- National Family Benefit Scheme.
- Integrated Social Security Pension Scheme.
- Financial Assistance to the Multi-disabled/Mentally Retarded Persons with disabilities.
- Mukhya Mantri Kanya Abhibhavak Pension Scheme.
- Mukhya Mantri Kalyani Pension Scheme.
- Mukhya Mantri Kanya Vivah Scheme.
- Mukhya Mantri Nikah Scheme.
- Mukhya Mantri Kalyani Vivah sahayta Scheme.
- Mukhya Mantri Nishaktjan vivah protsahan Scheme.
- Mukhya Mantri Nishaktjan shiksha protsahan Scheme.
- Scholarship for Disabled Students Scheme.
- Hostel for Disabled Students Scheme.
- Residence Assistance for Complete Hearing Impaired and Blind Students Scheme.
- Fees, Maintenance Allowance, Travelling Allowance payable to the Disabled Students of Higher Education.
- Scholarship To Study In Foreign Country of Disabled Students.
- Civil Services Incentive For Disabled Persons Scheme.

- Grant of Prosthetic Organ Device and Treatment of Operation Assistance to the Disabled Persons.
- Operation of Kalapathak, Old Age Homes/Day Care Center/Shatau Samman.
- Madhya Pradesh Assistance to Destitute and Poor People Scheme.
- Scheme of Assistance for Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse.
- Operation of Public Awareness Program Beggars Center.
- District Disability Rehabilitation Center (D.D.R.C.).
- Schemes Run By National Trust.
- Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (D.D.R.S.).
- Scheme of Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances (ADIP Scheme).
- SIPADA Scheme.
- Awareness Generation And Publicity Scheme (A.G.P.).
- Distribution of Assisting Equipment To Old Age People.
- Integrated Senior Citizen Program Central Grants Scheme.
- De-addiction Program.
- Madhya Pradesh Integrated Social Security Program.
- Departmental Award - Indira Gandhi Social Service Award.
- Maharshi Dadhichi Award Scheme.
- Vivekananda De-addiction Award Scheme.
- Other Schemes Operated By the Central/State Government.

(Question Paper - Four)
(Official Process and Practical Studies)

Knowledge of different words which are used in the department (Eg. Receipt, Dispatch, Destitute Fund etc.), Official Correspondence, Note Writing, Maintenance of File and the vocabulary used in it. Practical knowledge and Operating Schemes working under different Government and Non-government organization/association.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह, उपसचिव.